

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग
जयपुर, दिनांक : १०/२/२०१७

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र / 2 / 15

—: आदेश :-

डॉ० राहुल जैन (आईपीएस), पुलिस उपायुक्त, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 22/2015 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2039 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या 104, मॉडल टाउन, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखते निरसन समझा जायेगा।
- उकता आवास का किराया राजस्थान रिविल सोबा, निवास रथान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- डॉ० राहुल जैन (आईपीएस), पुलिस उपायुक्त, जयपुर से कॉमन सुविधा राशि रूपये 300/- (अक्षरे रूपये तीन सौ रुपये मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- गृहानिवेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया कटाते को सुनिश्चित करावें।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, गिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
- आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
- शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शारान सचिवालय, जयपुर।
- प्रिंशिप सहायक गान्धीगढ़ मंडी, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 33/मिनि./जीएडी/2017 दिनांक 6.2.2017 के क्रम में।
- डॉ० राहुल जैन, पुलिस उपायुक्त, जयपुर
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटाते को सुनिश्चित करावें।
- प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (युप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, साठीनियोपीयो/जन रवाऊ अभियोपीयो/जयपुर विभिन्न निगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्गमन विभाग घोकी गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चरणा करावे रात्रि हो आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को भी प्रिज्वाये।
- गिलो सायेद, प्रमुख शासन सचिव, साप्रविधि।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 2(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक : १०/२/२०१७

—: आदेश :—

श्री पंकज चौधरी (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक, स्टेट क्राईम ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 06/2016 व सेवानिवृत्ति दिनांक 28.2.2035 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या A/3, गांधीनगर, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखते निरस्त राजा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान राजिल सबा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. रवयं तथा पत्नी/वध्यों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी भूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी के आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:
 1. आवेदन प्ररत्नत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्ररत्नत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

rsd
(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया कटौती को रुनिश्चित करावें।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक राम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकाप गंतव्य कराने को रुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त शासन राजिल, कार्मिक(क-1)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक मान्यता प्राप्ति, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 33/मिनि./जीएडी/2017 दिनांक 6.2.2017 के क्रम में।
6. श्री पंकज चौधरी (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक, स्टेट क्राईम ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटौती को रुनिश्चित करावें।
8. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेव साइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशासी अभियन्ता, साठनिंविडी/जन स्चाठ अभिडी विडी/जयपुर विडीविडीनिगम लिडी, गांधीनगर, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सावंजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्पा करावे साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को भी भिजवावें।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

L
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 2(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक : १०/२) २०/१७

—: आदेश :—

श्री नमित मेहता, (आईएएस), अतिरिक्त आयुक्त (वेट एंड आईटी) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वर्गीयता संख्या 29/2016 व सेवानिवृत्ति दिनांक 28.2.2045 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या 604, मॉडल टाउन, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से ४ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास रथान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. रथयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ४ दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवंटन प्रत्युत्तर करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रत्यंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रथयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्भित/क्रय नहीं किया है।
8. श्री नमित मेहता, (आईएएस), अतिरिक्त आयुक्त (वेट एंड आईटी) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर से कॉमन सुविधा राशि रूपये 300/- (अक्षरे रूपये तीन सौ रूपये मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd
(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया कटोती को सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-1)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. विशेष सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 33/मिनि./जीएडी/2017 दिनांक 6.2.2017 के कम में।
6. श्री नमित मेहता, (आईएएस), अतिरिक्त आयुक्त (वेट एंड आईटी) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कोपाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटोती को सुनिश्चित करावें।
8. प्रोग्राम सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशासी अभियन्ता, साठौनिंविडी/जन स्वाठा अभियन्विडी विडी/जयपुर विडीनिगम लिडी, गांधीनगर, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग घौको गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को भी भेजियावें।
11. निजी साथी, प्रमुख शासन साथी, राष्ट्रीय।
12. रक्षित पत्रावली।

L
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 2(1)साप्र / 2 / 15

जयपुर, दिनांक : १०।२।२०।७

—: आदेश :—

डॉ० राकेश कुमार, सहायक आचार्य, अस्थि रोग विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 42/2013 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2043 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या 5/4, हीराबाग, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखते भिरता सपाझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी।
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्भित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (इन्द्र सिंह राव)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, गग्ना सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकार्य में जमा कराने का सुनिश्चित करावे।
3. नियन्त्रक, सवाई मानसिंह विकेत्सालय, महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया कटाती को सुनिश्चित करावें।
4. विशेष सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 33/मिनि./जीएडी/2017 दिनांक 6.2.2017 के क्रम में।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह विकित्सालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटाती को सुनिश्चित करावें।
7. प्रोग्राम राहायक, सामान्य प्रशासन (युप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर साइट पर अपडेट करने का अमंत्र करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, साठनोविं/जन स्वास्थ्य अभियोगि/जन स्वास्थ्य विविभाग लिंग, हीराबाग, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गोधीनगर/हीराबाग, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड पर चर्पा करावे साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को भी भिजावाएं।
10. डॉ० राकेश कुमार, सहायक आचार्य, अस्थि रोग विभाग, सवाई मानसिंह विकित्सालय, जयपुर।
11. निजी सोसाइटी, प्रग्नुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्राचाली।


 संयुक्त शासन सचिव